Speed Post

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. RK/5/2016/STGBH/SEOTH/RU-III **Date: 19.07.2019**

To,

1. **The District Collector,**
   District – Chhapra (Saran),
   Bihar

2. **Post Master General,**
   Department of Post,
   Dak Bhawan, Sansad Marg,
   New Delhi - 110001

3. **The Chairman & Managing Director,**
   Central Bank of India,
   Chander Mukhi, Nariman Point,
   Mumbai - 400021

Sub: **Minutes of the Meeting held on 18.06.2019 under Chairmanship of Hon'ble Vice-Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) in case of** Representation of Shri Rakesh Kumar, Village+ Post- Koreyan Bazar, PS- Bheldi, District – Chhapra, Saran, Bihar regarding taking employment on false and fabricated Scheduled Tribes Certificate.

I am directed to enclose herewith **Minutes of the Meeting** held on **18.06.2019** on the above cited subject.

It is, requested that action taken report in the matter may please be sent to the Commission within 15 days.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Dr. Lalit Latta) 19/7/19
Director

<u>Copy for information:</u>

1. Shri Rakesh Kumar, Village+ Post- Koreyan Bazar, PS- Bheldi, District – Chhapra, Saran, Bihar
2. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
3. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- RK/5/2016/STGBH/SEOTH/RU - III)

श्री राजेश कुमार, ग्राम- कोरेयां बाजार, थाना- भेल्डी, जिला- छपरा(सारण)बिहार द्वारा फर्जी अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 18.06.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 18.06.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री राजेश कुमार, ग्राम- कोरेयां बाजार, थाना- भेल्डी, जिला छपरा(सारण) बिहार द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर मेवालाल महतो द्वारा एअर मेल, शॉर्टिंग डिवीजन, डाक विभाग, नई दिल्ली में नौकरी प्राप्त करने के संबंध में आयोग में अभ्यावेदन दिया था जिस पर आयोग ने संज्ञान लेकर जानकारी प्राप्त करने हेतु नोटिस जारी की थी। विभाग से जानकारी प्राप्त नहीं होने पर पुनः दिनांक 26.04.2019 को स्मरण पत्र जारी किया गया था।
2. मामले में मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय का दिनांक 12.06.2019 का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया है कि श्री राजेश कुमार भगत की शिकायत पर मेवालाल महतो के प्रमाण पत्र की जांच के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय, सारण से अनुरोध किया गया था। जिसके बाद जिला कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त पत्र संख्या '836 दिनांक 01.02.2016' और पत्र संख्या '242 दिनांक 27.02.1997' में जाति प्रमाण पत्र को सही बताया गया था। पुनः इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर जिला पदाधिकारी(कल्याण शाखा) पत्र संख्या '1466 दिनांक 19.08.2017 में बताया गया कि श्री मेवालाल महतो का प्रमाण पत्र फर्जी है तथा उनके कार्यालय से पूर्व के दोनों पत्र जारी नहीं किए गए हैं। इस संबंध में डाक विभाग द्वारा जिला कलेक्टर को डी.ओ. पत्र लिखा गया था जिसके जवाब में जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र को फर्जी बताया गया और मेवालाल को 'नोनिया' जाति ओबीसी का बताया गया। डाक विभाग द्वारा जांच कमेटी गठित की गई है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

3. माननीय उपाध्यक्ष महोदया द्वारा मामले में दिनांक 18.06.2019 को दोपहर 12.30 बजे बैठक आहूत की गई थी।

4. बैठक में पहले अभ्यावेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया, मेवालाल महतो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर डाक विभाग में कार्यरत हैं और उनके सगे भाई विजय महतो जो सेंट्रल बैंक में नौकरी कर रहे हैं। डाक विभाग को उन्होंने इस संबंध में आवेदन दिया था जिसमें जिला पदाधिकारी (कल्याण विभाग) द्वारा जांच के बाद उनके प्रमाण पत्रं को फर्जी बताया गया है। सेंट्रल बैंक वाले मामले में प्रस्तावित बैठक रद्द कर दी गई है। दोनों के राजस्व रिकॉर्ड में 'नोनिया' जाति दर्ज है जो बिहार में पिछड़ी जाति में आती है जबकि दोनों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया है जिसमें अपने को 'खरिया' जाति का बताया है।

5. जिला कलेक्टर, सारण ने बताया, सैंट्रल बैंक से जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए उन्हें पत्र प्राप्त हुआ था। उनके कार्यालय द्वारा जांच में बताया गया है कि उक्त प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर कार्यालय, सारण से निर्गत नहीं है। बैंक को यह अवगत कराया जा चुका है कि विजय कुमार महतो का जाति प्रमाण पत्र फर्जी है।

6. आयोग ने यह पाया कि दिनांक 07.06.2019 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त पत्र जिला कलेक्टर कार्यालय से जारी नहीं किया गया है। इस पत्र में यह बताया गया है कि विजय महतो 'खरिया' जाति से हैं जो अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्ज है जबकि जिला कलेक्टर, सारण द्वारा यह अवगत कराया जा रहा है कि यह पत्र उनके कार्यालय निर्गत नहीं हुआ है। विजय महतो 'नोनिया' जाति से आते हैं जो बिहार में ईबीसी के रूप में दर्ज है।

7. मामले में डाक विभाग के अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। नियम 14 के तहत चार्जशीट जारी कर दी गई है और जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है, जल्द ही मामला खत्म हो जाएगा। जांच में कई प्रक्रिया है जिससे थोड़ा समय लगेगा।

8. अभ्यावेदक ने बताया, 3 दिसंबर 2018 को ही चार्जशीट जारी किया है लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। विभाग द्वारा जानबूझकर जांच में देरी की जा रही है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

9. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आयोग द्वारा की गई अनुशंसा निम्नानुसार है :

- जिला कलेक्टर, सारण राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संबोधित करते हुए एक पत्र प्रस्तुत करें जिसमें दोनों अनावेदकों की जाति का स्पष्ट विवरण हो। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि इनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है।
- सारण जिले में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के कई मामले सामने आए हैं अतः जिला प्रशासन इस संबंध में गंभीरता से जांच करे। फर्जीवाड़ा के कारण अनुसूचित जनजाति वर्ग को प्राप्त लाभ अन्य समुदायों के व्यक्ति उठा रहे हैं। अभ्यावेदक की शिकायत के अतिरिक्त अन्य मामलों की शिकायत की भी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए।
- डाक विभाग एक माह के भीतर आयोग के समक्ष अंतरिम जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करे तथा छह माह में जांच पूरी कर कार्रवाई पूरी करे।

उपरोक्त अनुशंसा के अनुपालन में कार्यवृत्त प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट से आयोग को अवगत कराएं।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- RK/5/2016/STGBH/SEOTH/RU - III)

श्री राजेश कुमार, ग्राम- कोरेयां बाजार, थाना- भेल्डी, जिला- छपरा(सारण)बिहार द्वारा फर्जी अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष महोदया सुश्री अनुसूईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 18.06.2019 को आयोग आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मियों की सूची-

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
  - (1.) सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष
  - (2.) डॉ ललित लट्टा, निदेशक
  - (3.) श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष महोदया के निजी सचिव
  - (4.) श्री आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक
- **डाक विभाग के अधिकारी**
  - (1.) श्री विक्की कुमार, वरिष्ठ अधीक्षक, शॉर्टिंग डिवीजन
- **जिला प्रशासन, बिहार के अधिकारी**
  - (1.) श्री सुब्रत कुमार सेन, जिला कलेक्टर, सारण
- **अभ्यावेदक**
  - (1.) श्री राजेश कुमार